सं0–104/उन्तीस(2)/05/2(19पे0)/2005

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 2 अगस्त, 2005

विषयः –ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2005–06 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 271/अप्रैजल–अल्मोड़ा/दिनांक 14.06.05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा की निम्नलिखित विवरणानुसार ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रू0 128.56 लाख (रू0 एक करोड़ अटठाइस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि लागत के कार्यो पर प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उक्त के विपरित रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 स0	योजना का नाम	अनु0 लागत	स्वीकृत धनराशि
1	काण्डे खलपट्टी रिक्वासी ग्रा0स0पेयजल योजना वि0ख0 सल्ट जनपद अल्मोड़ा	35.97	20.00
2	भौंनखाल काठकी नाव बगिया डांडा दर्शन पानी तोक समूह पेयजल योजना। जनपद अल्मोड़ा	45.34	20.00
3	उदयपुर ग्रा0स0 पेयजल योजना (पुंनर्गठन) जनपद अलमोडा	47.25	20.00
	योगः–	128.56	60.00

(रू0 साठ लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3– सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन आवश्यक है जिन मदों का प्राविधान बाजार भाव से किया गया है उनका कय नियमानुसार ही किया जायेगा

4– उक्त योजनाओं के पुनः नामों में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

क्रमश...2

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवादग्रस्त हैं। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

6– प्रस्तावित धनावंटन का 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग करके कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के मासिक/त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय ओर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगमी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

7– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

8– कार्यो में सैंटेज/कन्टीजैन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाशीध्र पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायें अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

10– योजनाओं को इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और विलम्ब या अन्य कारणों से इनकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम– 03 –ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20 सहायक अनुदान/ अंशदान / राजसहायता" के नामें डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 982/ वि0अनु0–3/2005 दिनांक 28 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपरसचिव

सं0 1054 (1)/उन्तीस/05/2(19पे0)/2005, तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3. मण्डलायुक्त कुमॉयू ।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/सम्बन्धित जनपद ।
5. मुख्य अभियन्ता (कुमॉयू), उत्तरांचल पेयजल निगम।

क्रमश..3

6. वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. मुख्य मंत्री कार्यालया घोषणा अनुभाग को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 212, दिनांक 19.07.2004 एंव 198, दिनांक 05.09.2004 की पूर्ति की दिशा में सूचनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव